

सं0 607/03/2017-एन.पी.सी.एस. (पार्ट)
भारत सरकार
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, 9वां तल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

दिनांक : 17 जून, 2020

सूचना

कोविड-19 से उठी परिस्थिति तथा तदोपरान्त लॉकडाउन/ सरकारी सीमाओं के कारण पी.आई.बी. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रसार विवरणियों के सत्यापन से संबंधित कार्य रूक गया है अथवा कुछ अवधि के लिए रोक दिया गया है।

अतः आर.एन.आई. द्वारा प्रसार विवरणियों के प्रमाणपत्र, जिनकी वैद्यता 31 दिसम्बर, 2019 या उसके बाद समाप्त होने वाली है, की वैद्यता 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाई जाती है। यह व्यवस्था वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी जमा करने तक मान्य रहेगी, ताकि प्रकाशकों को आ रही समस्याओं का निवारण किया जा सके।

इसे प्रेस पंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आर.एन.आई.
रीना सोनोवाल

(रीना सोनोवाल)
अपर प्रेस पंजीयक